न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 09/2020

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
राजस्थान सरकार जरिये श्री राधेश्याम दास, प्रवर्तन निरीक्षक, सिणधरी		1. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री जुगलाल जाट मैसर्स चौहटन इण्डेन गैस एजेन्सी चौहटन जिला बाड़मेर 2. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री जुगलाल जाट वाहन मालिक वाहन संख्या आरजे 18 जीए 8943 3. श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री रामनिवास निवासी ग्राम केरपुरा कन्ना तहसील चिडावा जिला झुंझूनूं

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मेघाराम जाखड अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

आदेश

दिनांक : 29.12.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षि[illegible] 05.03.2020 को जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वा[illegible] दौरान बाड़मेर से धोरीमन्ना जाने वाले नेशन[illegible] की बेरी के बस [illegible] से लगभग 100 मीटर की दूरी पर इण्डेन गैस सप्लाई हेतु वाहन संख्या आरजे 18 जीए 8943 पलटी खाया हुआ पाया। उक्त वाहन में 101 घरेलू गैस

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:02:16 IST
Reason: SelfAttested

Low
जिला कलक्टर
बाड़मेर

सिलेण्डर पाये जिसमें 98 भरे हुए तथा 3 गैस सिलेण्डर खाली पाये गए। मौके पर चौहटन इण्डेन गैस सप्लाई वाहन के चालक अप्रार्थी संख्या 3 प्रमोद कुमार से पूछताछ करने पर बताया कि उक्त वाहन चौहटन इण्डेन गैस एजेन्सी का है। मौके पर वाहन चालक से गैस एजेन्सी से संबंधित दस्तावेज मांगने पर उपभोक्ताओं की जारी करने वाली रसीद संबंधी बुक प्रस्तुत की जिसमें क्रमांक 4801 से प्रारम्भ होना पाया। वाहन चालक के पास गेट पास/चालान तथा घरेलू गैस उपभोक्ताओं से संबंधित बुकिंग रसीद एवं अन्य कागजात प्रस्तुत नहीं किये गए, न ही सप्लाई वाहन में बाट–माप विभाग से प्रमाणित अथवा अप्रमाणित किसी प्रकार का तौल यंत्र पाया गया। मौके पर जांच दल को उक्त 101 घरेलू गैस सिलेण्डरों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं अवैध रूप से परिवहन कर कालाबाजारी की आशंका होने पर मौके पर ही उक्त वाहन संख्या आरजे 18 जीए 8943 एवं घरेलू गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार कर मैसर्स पिलानिया भारत गैस एजेन्सी धोरीमन्ना के मैनेजर अरविन्द कुमार पुत्र रविन्द्रसिंह जाति जाट निवासी हाल मैसर्स पिलानिया भारत गैस एजेन्सी धोरीमन्ना को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का कालाबाजारी के उद्देश्य से अवैध परिवहन किया गया है, जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा 101 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं सीजशुदा वाहन संख्या आरजे 18 जीए 8943 राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] स्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी कि[illegible] से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त [illegible] तशुदा गैस सिलेण्डर अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म के है जो उपभोक्ताओं को वितरित होने के लिये वाहन से

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:02:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जा रहे थे लेकिन वाहन पलटी खा जाने से सड़क पर पड़े हुए थे। इस दरम्यान जिला रसद अधिकारी द्वारा गैस सिलेण्डरों को सीज किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म को स्वयं जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अनुज्ञा पत्र संख्या 207/2009 दिनांक 21.10.2009 को जारी किया गया था। इसी क्रम में जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 23.10.2010 के द्वारा धोरीमन्ना, भूणिया, बामणोर, लीलसर एवं इसरोल क्षेत्र के उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति मैसर्स थार गैस एजेन्सी बाड़मेर से स्थानान्तरित कर अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म द्वारा किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इसी आदेश के अनुसरण में चौहटन एजेन्सी से गैस सिलेण्डर धोरीमन्ना क्षेत्र के उपभोक्ताओं को वितरित करने हेतु ले जाए जा रहे थे। इस दौरान सुरते की बेरी के पास नेशनल हाईवे पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलटी खा गया। अप्रार्थीगण द्वारा विधिसम्मत तरीके से प्राप्त एजेन्सी लाईसेन्स, एग्रीमेन्ट की शर्तों एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा अधिकृत कार्यक्षेत्र के अन्दर ही गैस सिलेण्डर की सप्लाई उपभोक्ताओं को की जा रही थी। दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक अप्रार्थी संख्या 3 को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया था तथा वाहन में दस्तावेजात की छायाप्रतियां मौजूद थीं जिसे जिला रसद अधिकारी द्वारा नजरअंदाज कर हठधर्मिता से यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अन्यथा किसी प्रकार की कोई अनियमितता अथवा अवैधता नहीं थी। मौके पर एवं जांच के दौरान भी अप्रार्थी द्वारा समस्त मूल दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिसे भी अनदेखा करते हुए केवल कालाबाजारी की आशंका पर यह प्रकरण पेश किया गया है जो खारिज फरमाया जावे। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गये किसी विनियम का उल्लंघन नहीं किया है, लिहाजा धारा 6 (ए) की [illegible] ड्रॉप फरमाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:02:16 IST
Reason: SelfAttested

3. हमने पत्रावली का [illegible] को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट [illegible] कि जांच मे जिस स्थान पर सिलेण्डर बिखरे हुए पाये गए वहां मौके पर परिवहन से संबंधित कोई

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

गेटपास/चालान, उपभोक्ताओं को वितरित करने की बुकिंग स्लिप एवं माप–तौल यंत्र नहीं पाया गया जिससे प्रथमदृष्ट्या ही मामला कालाबाजारी की आशंका से अवैध परिवहन किया जाना पाया गया। इस पर अप्रार्थी संख्या 1 श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री जुगलाल जात मैसर्स चौहटन इण्डेन गैस एजेन्सी चौहटन जिला बाड़मेर द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध परिवहन द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। इसके जवाब मे अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रकट किया है कि उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं को वितरित करने हेतु जा रहे थे जो गाडी पलटी खा जाने के कारण आपात परिस्थितियों मे सड़क के किनारे पड़े हुए थे। मौके पर वाहन चालक प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल जाने से हाजिर नहीं था जबकि वाहन में सिलेण्डर आपूर्ति संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रतियां मौजूद थीं एवं जांच के दौरान मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि जिला रसद अधिकरी द्वारा जारी वैध अनुज्ञा पत्र एवं अनुमत कार्यक्षेत्र के भीतर ही परिवहन किया जा रहा था। ऐसे में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उक्त गैस सिलेण्डर्स यदि सड़क पर बिखरे हुए पाये गये हैं तो इसे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन होना नहीं माना जा सकता है। प्रार्थी द्वारा किसी भी साक्ष्य दस्तावेज से यह साबित नहीं किया है कि अप्रार्थीगण को घटनास्थल पर सिलेण्डर आपूर्ति हेतु क्षेत्र अधिकृत नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर्स के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जो कालाबाजारी की आशंका को सुदृढ़ करता हो। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया जाना नही पाया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:02:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हों। ऐसे मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के अभाव मे तथा तथ्य की भूल के फलस्वरूप दर्ज कराया गया यह प्रकरण काबिल खारिज है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में सीजशुदा उक्त 101 गैस सिलेण्डर एवं वाहन संख्या आरजे 18 जीए 8943 जो अस्थाई रूप से अप्रार्थी संख्या 1 को सुपुर्दगी पर दिये गये है के लिये अप्रार्थी की ओर से निष्पादित सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा निरस्त किये जाकर कब्जा सरकार से एतद्द्वारा मुक्त किया जाता है।

5. आदेश आज दिनांक 29.12.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:02:16 IST
Reason: SelfAttested